यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.न 95/16 तारीख रजू 17.8.16

उनवान — रामभरोसी बनाम ओमप्रकाश वगै०
कंजोली

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से हंसराम गुर्जर Ad. ने दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर दिनांक 26.8.16 को पेश हो।

2418/2432
17.8.16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

26.8.16

वादी वकील उप० । प्रतिवादी नं. 14, 15 बावजूद सूचना उप० नहीं हो उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है शेष सम्मन वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रतिवादी नं. 1 ता 6 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। बाकि इन्तजार तामील व जवाब दि. 2.9.16 को पेश हो।

2.9.16 वकुलाय उप० । गतानुसार दिनांक 15.9.16 को पेश हो।

15.9.16

वकुलाय उप० । प्रतिवादी नं. 7 का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं। प्रतिवादी नं. 8, 9, 10 के सम्मन अदमतामील प्राप्त हुए हैं। प्रति. नं. 11, 12, 13 बावजूद सूचना उप० नहीं। पी.ओ. साहब करौली पधारे हो आइन्दा दि० 19.9.16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
25.7.17	फकुलताय उप० / वादी वकील जि प्रतिवादी नं. 7,8,9,10 के समन तलवाना पेश नहीं किये है वादी वकील को इनके समन तलवाना पेश करने के लिए 7 दिन का समय देते हुए हिदायत की जाती है कि आगामी सुनवाई तिथि पर रजि० AD समन तलवाना पेश नहीं किये जाते है तो आगे समय नहीं दिया जायेगा कि 1.8.17 को पेश हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम
1.8.17	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। इसलिए यह दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner